CONTENT & COPYRIGHT PROTECTION IN AN EMERGING MEDIA LANDSCAPE

India can effectively mitigate copyright and piracy issues in the broadcasting sector, create a conducive environment for creativity and innovation, and promote sustainable growth in the media and entertainment industry.

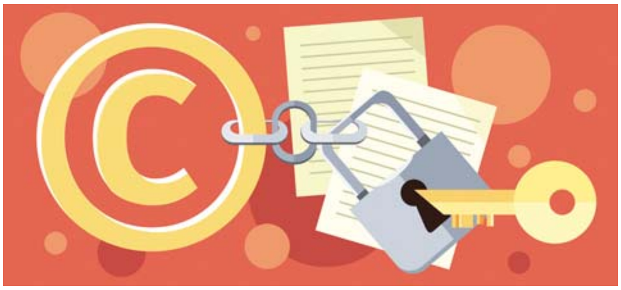

The broadcasting industry in India has experienced significant growth in recent years, fuelled by technological advancements and increasing consumer demand. However, with this expansion comes the pressing issue of copyright infringement and piracy, posing substantial challenges to creators and stakeholders.

The subject matter of Indian intellectual property, or IP, relevant to this industry primarily takes the form of copyrights. Copyrights in the industry relates mainly in the production, broadcasting and use of cinematographic films (CF), music, advertising, web series, theatrical plays, televisions serials, gaming, animation etc.

As per a global advisory firm, there had been sizable visits to content piracy websites in the year 2022 from India. The report also states that in India, piracy can be traced to individuals as well as organised groups who can capture content through screen grabs or by recording on phones in movie theatres and distribute it further. A lot of pirated content is available on social media-based messaging applications, which circulate information about third-party pirated sites or aggregator apps that ordinarily may not be found on the application Play Store.

It is estimated that piracy causes a revenue loss

उभरते मीडिया परिदृश्य में कंटेंट और कॉपीराइट संरक्षण

भारत प्रसारण क्षेत्र में कॉपीराइट और पायरेसी के मुद्दों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, रचनात्मकता और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है और मीडिया व मनोरंजन उद्योग में सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है।

भारत में प्रसारण उद्योग ने हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता मांग के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। हालांकि इस विस्तार के साथ कॉपीराइट उल्लंघन और चोरी का गंभीर मुद्दा सामने आता है जो रचनाकारों और हितधारकों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करता है।

इस उद्योग के लिए प्रासंगिक भारतीय बौद्धिक संपदा या आईपी का विषय मुख्य रूप से कॉपीराइट का रूप लेता है। उद्योग में कॉपीराइट मुख्य रूप से सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों (सीएफ), संगीत, विज्ञापन, वेब श्रृंखला, नाटकीय नाटक, टेलीविजन धारावाहिक, गेमिंग, एनीमेशन आदि के उत्पादन प्रसारण और उपयोग से संबंधित है।

एक वैश्विक सलाहकार कंपनी के अनुसार वर्ष **2022** में भारत में कंटेट पायरेसी वेबसाइटों पर बड़े पैमाने पर विजिट हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में चोरी का पता, व्यक्तियों के साथ–साथ संगठित समूहों से भी लगाया जा सकता है जो स्क्रीन ग्रैब के माध्यम से या मूवी थियेटरों में फोन पर रिकॉर्डिंग करके कंटेंट को कैप्चर कर सकते हैं और इसे आगे वितरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया आधारित मैसेजिंग एप्लिकेशन पर बहुत सारी पायरेटेड सामग्री उपलब्ध है जो तीसरे पक्ष पायरेटेड साइटों या एग्रीगेटर ऐप्स के बारे में जानकारी प्रसारित करता है जो आमतौर पर एप्लिकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिल सकती है।

अनुमान है कि पायरेसी से फिल्म उद्योग को सालाना **20,000** करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होता है। वीडियो/फिल्म सामग्री के

of Rs. 20,000 crore annually to the film industry. Illegal dissemination of video/ film content causes loss to creators and theatre operators involved in the business. The government also incurs losses because pirate activity avoids paying taxes on entertainment at theatres, and GST at locations where goods are produced or sold legally. Economic losses from piracy leads to job cuts and reduced opportunities within the industry. Moreover, theatres depend on ticket sales and concessions for their revenue. When pirated copies of films become widely available, it results in financial losses for these businesses.

To counter the menace of piracy, the Parliament has passed the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. The amendments include penalties, such as a minimum of 3 months' imprisonment and fine of Rs 3 lakh, with the potential for imprisonment of up to 3 years and fine amounting to 5% of the audited gross production cost. It prohibits carrying out or abetting unauthorized recording and exhibition of films.

द/A
अ/व
U/A
अ/U
CINEMATOGRAPH
(AMENDMENT) BILL,
2023

With increase in digital penetration, piracy issues are on rise on OTT platforms, thereby imposing mounting revenue losses and reputational harm on the original creators. Illegal download options of film contents from third-party sources are available days before their release. Piracy impacts the consumption of original content through password and credential sharing, sending files over the internet, and purchasing illegal streaming devices and services which are available at just a fraction of the cost to the consumers.

Similarly, there are instances of piracy in music and gaming content. As per International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Almost 74% of internet users in India access unlicensed services to listen to music. According to IFPI, this kind of illegal activities create huge losses for the Indian artists who are creating content and the labels that are investing in it. Further,

अवैध प्रसार व्यवसाय में शामिल रचनाकारों और थियेटर संचालकों को नुकसान होता है। सरकार को भी घाटा होता है क्योंकि समुद्री डाकू गतिविधियां सिनेमाघरों में मनोरंजन पर कर और उन स्थानों पर जीएसटी का भुगतान करने बचाती है जहां माल कानूनी रूप से उत्पादित या बेचा जाता है। पायरेसी से होने वाले आर्थिक नुकसान से नौकरियों में भी कटौती होती है और उद्योग के भीतर अवसरों में कमी आती है। इसके अलावा थियेटर अपने राजस्व के लिए टिकट बिक्री और रियायतों पर निर्भर हैं। जब फिल्मों की पायरेटेड प्रतियां व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप इन व्यवसायों को वित्तीय नुकसान होता है।

पायरेसी के खतरे का मुकाबला करने के लिए संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम **2023** पारित किया है। संशोधनों में न्यूनतम तीन महीने की कैद और **3**लाख रुपये के जुर्माने का दंड शामिल है, जिस दंड को आगे बढ़ाकर **3** साल तक और अंकेक्षित सकल उत्पादन लागत का **5%** जुर्माना किया जा सकता है। यह फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर रोक लगाती है।

डिजिटल पैठ में वृद्धि के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्मो पर पायरेसी के मुद्दे बढ़ रहे हैं जिससे मूल रचनाकारों पर राजस्व हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान बढ़ रहा है। तीसरे पक्ष स्रोतों से फिल्म सामग्री के अवैध डाउनलोड विकल्प उनकी रिलीज से कुछ दिन पहले उपलब्ध होते हैं। पायरेसी पासवर्ड और क्रेडेंशियल साझाकरण, इंटरनेट पर फाइल भेजने और अवैध स्ट्रीमिंग डिवाइस और सेवाओं को खरीदने माध्यम से मूल सामग्री की खपत को प्रभावित करती है जो उपभोक्ताओं को लागत के एक अंश पर उपलब्ध है।

इसी तरह संगीत और गेमिंग सामग्री में चोरी के मामले भी सामने आये हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री (आईएफपीआई) के अनुसार भारत में लगभग **74%** इंटरनेट उपभोक्ता संगीत सुनने के लिए बिना लाइसेंस वाली सेवाओं का उपयोग करते हैं। आईएफपीआई के अनुसार इस तरह की अवैध गतिविधियां उन भारतीय कलाकारों के लिए भारी नुकसान पैदा करती हैं जो सामग्री बना रहे हैं और उन लेबलों के लिए जो इनमें निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा एनिमेशन और

COPYRIGHT ACT 1957

governing the animation and online gaming business, had been difficult for combatting piracy issues in India.

The main objective of the copyright is to protect the creator's original work from unauthorized reproduction. The Indian Copyright Act 1957 protects original literary, dramatic, musical and artistic works and cinematograph films and sound recordings from unauthorized uses. Unlike the case with patents, copyright protects the expressions and not the ideas. The Copyright Act is the primary legislation governing copyright in India. For instance, Section 55 provides for the power of the police to seize infringing copies, and Section 63 provides for criminal penalties for copyright infringement. So far, the Copyright Act, 1957, does not explicitly provide for extraterritorial jurisdiction.

Further deploying technology driven solutions helps in combatting the issues related to piracy and copyright infringement. Robust authentication mechanisms through Digital Rights Management (DRM) technologies to control access to digital content may be explored. Employing advanced encryption techniques to secure the integrity and confidentiality of digital content, making it more challenging for pirates to tamper with or reproduce copyrighted material may be looked upon. Utilizing fingerprinting algorithms to automatically detect copyrighted content across various online platforms may also be considered.

DRM
DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

It extremely important to develop and implement a multifaceted strategy within the sector to combat the issues raised by piracy and ensure the reduction of copyright infringement to foster a sustainable and thriving creative ecosystem for the various segments of the broadcasting landscape. A thoughtfully designed policy plays a pivotal role in mitigating copyright and piracy issues in the Indian broadcasting sector. By establishing a robust legal framework, fostering public awareness, embracing technology, and promoting international cooperation, India can create an environment that nurtures creativity, protects intellectual

ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को नियंत्रित करना भारत में पायरेसी के मुद्दों से निपटने के लिए कठिन था।

कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य निर्माता के मूल कार्य को अनधिकृत पुनरूत्पादन से बचाना है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम **1957** मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यो और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग को अनधिकृत उपयोग से बचाता है। पेटेंट के मामले के विपरीत कॉपीराइट अभिव्यक्ति की रक्षा करता है न कि विचारों की। कॉपीराइट अधिनियम भारत में कॉपीराइट को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। उदाहरण के लिए धारा **55** पुलिस को उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है और धारा **63** कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान करती है। अब तक कॉपीराइट अधिनियम **1957** स्पष्ट रूप से बाहरी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है।

प्रौद्योगिकी संचालित संसाधनों को आगे बढ़ाने से पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मुद्दों से निपटने में मदद मिलती है। डिजिटल समाग्री तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र की खोज की जा सकती है। डिजिटल सामग्री की अखंडता और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए उन्न एन्क्रिप्शन तकनीकों को नियोजित करना, जिससे समुद्री डाकूओं के लिए कॉपीराइट सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना या पुनः उत्पन्न करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट सामग्री को स्वाचालित रूप से पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करने पर भी विचार किया जा सकता है।

पायरेसी द्वारा उठाये गये मुद्दों से निपटने और प्रसारण परिदृश्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक स्थायी और संपन्न रचनात्मक पारिस्थितिकीतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कॉपीराइट उल्लंघन में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के भीतर एक बहुआयामी रणनीति विकसित करना और कार्यान्वित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सोच समझकर तैयार की गयी नीति भारतीय प्रसारण क्षेत्र में कॉपीराइट और पायरेसी के मुद्दों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करके सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकी को अपनाकर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत एक ऐसा वातावरण बना सकता है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, बौद्धिक संपदा की रक्षा

property, and ensures sustainable growth in the media and entertainment industry.

In summary these below measures are an effective combat to piracy.

- **Establishing a Robust Legal Framework:** Strengthen copyright laws and enforcement mechanisms to deter piracy and protect intellectual property rights in the broadcasting sector. This includes implementing stringent penalties for copyright infringement, streamlining legal procedures for pursuing copyright claims, and establishing specialized intellectual property courts to expedite legal proceedings.
- **Fostering Public Awareness:** Educate the public about the importance of respecting copyright laws and the negative consequences of piracy on the media and entertainment industry. Launch awareness campaigns through various media channels, including television, radio, social media, and community outreach programs. Collaborate with educational institutions to integrate copyright education into school curricula and raise awareness among students.
- **Embracing Technology:** Leverage technology to combat piracy and protect copyrighted content in the broadcasting sector. Implement digital rights management (DRM) solutions to encrypt and secure content distribution channels. Explore blockchain technology for transparent and immutable copyright management and tracking. Encourage the adoption of licensed streaming services and digital platforms that offer legitimate access to content.
- **Promoting International Cooperation:** Strengthen collaboration with international stakeholders, including copyright organizations, law enforcement agencies, and industry associations, to address cross-border copyright infringement issues. Participate in international treaties and agreements aimed at harmonizing copyright laws and promoting anti-piracy efforts

COPYRIGHT LAW

करता है और मीडिया व मनोरंजन उद्योग में सतत विकास को सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में नीचे दिये गये उपाय पायरेसी से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक हैं।

- **एक मजबूत कानूनी ढ़ांचा स्थापित करनाः** प्रसारण क्षेत्र में चोरी को रोकने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपीराइट कानूनों और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना। इससे कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कड़े दंड लागू करना, कॉपीराइट दावों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए विशेष बौद्धिक संपदा अदालतों को स्थापित करना शामिल है।
- **सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देनाः** कॉपराइट कानूनों का सम्मान करने के महत्व और मीडिया व मनोरंजन उद्योग पर पायरेसी के नकारात्मक परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करना। टेलीविजन, रेडियो व सोशल मीडियाऔर सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू करें। कॉपीराइट शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत करने और छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करें।
- **प्रौद्योगिकी को अपनानाः** प्रसारण क्षेत्र में चोरी से निपटने और कॉपीराइट सामग्री की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। सामग्री वितरण चैनलों को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित करने के लिए डिजिटल अधिकार प्रबंधन (डीआरएम) समाधान लागू करें। पारदर्शी और अपरिवर्तनीय कॉपीराइट प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का अन्वेषण करें। लाइसेंस प्राप्त स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने को प्रोत्साहित करें जो सामग्री तक वैध पहुंच प्रदान करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देनाः** सीमा पार कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कॉपीराइट संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग संघों सहित अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग को मजबूत करना। कॉपीराइट कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने और विश्वस्तर पर पायरेसी विरोधी प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते में भाग ले। प्रवर्तन क्षमताओं

liability
holders
INFRINGEMENT
COPYRIGHT
laws
works
providers
files
piracy
content
services
sports
intermediary
agreement
rights
copyrighted
network
peer-to-peer
internet
cases
property
sharing
legal
online
criminal
court
intermediaries
owner
movies
music
torrent
relation
software
intellectual
websites
countries
exclusive
download
enforcement
clients
litigation

globally. Exchange best practices, information, and resources to enhance enforcement capabilities and combat transnational piracy networks.

- **Supporting Content Creators and Rights Holders:** Provide support and incentives to content creators, broadcasters, and rights holders to encourage the production and distribution of original and licensed content. Facilitate licensing agreements and revenue-sharing models that fairly compensate rights holders for their creative works. Establish a transparent and efficient royalty collection and distribution system to ensure that creators receive their rightful earnings.
- **Enabling Legal Alternatives:** Make legal alternatives to piracy easily accessible and affordable to consumers. Encourage the development of legitimate streaming platforms, video-on-demand services, and online marketplaces that offer a wide range of licensed content at competitive prices. Streamline licensing processes and reduce regulatory barriers to encourage investment in legal distribution channels.
- **Capacity Building and Training:** Provide training and capacity-building programs for law enforcement agencies, judicial officials, and industry professionals to enhance their understanding of copyright laws and enforcement techniques. Offer specialized courses, workshops, and seminars on intellectual property rights management, anti-piracy strategies, and digital content protection.

को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय पायरेसी नेटवर्क से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान करें।

- **सामग्री निर्माताओं और अधिकार धारकों का समर्थन करनाः** मूल और लाइसेंस प्राप्त सामग्री के उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री निर्माताओं, प्रसारकों और अधिकार धारकों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना। लाइसेंसिंग समझौता और राजस्व साझाकरण मॉडल को सुविधाजनक बनाना जो अधिकार धारकों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए उचित मुआवजा देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रचनाकारों को उनकी उचित कमाई मिले, एक पारदर्शी और कुशल रॉयल्टी संग्रह और वितरण प्रणाली स्थापित करें।
- **कानूनी विकल्पों को सक्षम करनाः** चोरी के कानूनी विकल्पों को उपभोक्ताओं के लिए आसानी से सुलभ और किफायती बनाना। वैध स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं और ऑनलाइन बाजारों के विकास को प्रोत्साहित करें जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लाइसेंस प्राप्त सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं। कानूनी वितरण चैनलों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और नियामक बाधाओं को कम करें।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षणः** कॉपीराइट कानूनों और प्रवर्तन तकनीकों की समझ बढ़ाने के लिए कानून प्रर्वतन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और उद्योग पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करे। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन एंटी पायरेसी रणनीतियों और डिजिटल सामग्री सुरक्षा पर विशेष पाठ्यक्रम कार्यशालायें और सेमिनार पेश करें।